OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of (सोनिका) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **3.9737 Hectare** for the construction of **Construction of Motor road from End point of Dhar payankoti Motor road to Syalsaor-Panyali-Bantolikhal-Nailchaami Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

प्रतिहस्ताक्षरित

Place :- Tehri

अधिशासी अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

District Collector Cum chairman
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Tehri Garhwal
New Tehri

It is further certified that – Minutes of meeting of Motor road from End point of Dhar payankoti Motor road to Syalsaor-Panyali-Bantolikhal-Nailchaami Motor Road (6.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.9737 **Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला पंचायत सदस्य
कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature

( )

Distt. Colector

78

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 227/XXVI-45(2018-19) Dated 08/02/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.9737 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Motor road from End point of Dhar payankoti Motor road to Syalsaor-Panyali-Bantolikhal-Nailchaami Motor road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Dharpayankoti, Dharkot** Village in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **3.9737 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

अधिशासी अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

Signature
प्रतिहस्ताक्षरित

( )

Distt. Collector
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र–

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई   कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड   परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत **खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग** (0·7350 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0·7350 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 16/10/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिंचाराम चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री फिंचाराम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री बी. के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री दर्शनलाल आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती निर्मला बिष्ट	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 0·7350 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा की सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की है।

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई किमी०)।

दिनांक 16/10/18 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद—

1.	श्री फिंचराम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी घनसाली
2.	श्री बी.के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी घनसाली उप वन प्रभाग
3.	श्री दर्शन लाल आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)
4.	श्रीमती निर्मला बिष्ट	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	श्रीमती निर्मला देवी बिष्ट कनिष्ठ उप-प्रमुख क्षेत्र पंचायत- भिलंगना, टि०ग०

(81)

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उपवन प्रभाग देवप्रयाग उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के **खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु 0.7350 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी
घनसाली
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..................................

जनपद..................

प्रपत्र–

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.000 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत **खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग (2.7825 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0875 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.870 हे0 वन भूमि** का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 22.10.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ......अनुराधा पाल......, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	अनुराधा पाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती मंजु देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी क अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **खोल धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखा नैलचामी तक मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 2.870 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्र सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की है।

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.000 कि0मी0)।

दिनांक 22.10.18 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति जनपद–

1.	श्री अनुराधा पाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature] उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि0ग0
2.	श्री डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी (...) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3.	श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	[signature]
4.	श्रीमती मंजु देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र धारपयांकोटी	सदस्य	सदस्य क्षेत्र पंचायत धार पयांकोटी, वि. ख. कीर्तिनगर (टि0 ग0) ह. [signature] दिनांक ......

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देव प्रयाग उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के **खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु 2.870 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि0ग0
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि0ग0
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कीर्तिनगर

जनपद:– टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.000कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – धारकोट

तहसील-कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु 2.7825हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0875हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.870 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारकोट द्वारा दिनांक 06/08/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरिता देवी

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक 06/8/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – धारकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01-	श्री अवतार सिंह महरा विपट	[illegible]
02-	" गब्बर सिंह चौहान	[illegible]
03-	" कुवर सिंह चौहान	[illegible]
04	" गौर सिंह चौहान	[illegible]
05	" मकान सिंह चौहान	[illegible]
06-	" नरेन्द्र सिंह "	नरेन्द्र सिंह
07	" उदय सिंह "	[illegible]
8	" अमीर सिंह कण्डारी	ASK
9	" राजेन्द्र सिंह चौहान	[illegible]
10	" शिव सिंह चौहान	[illegible]
11	" मोलू सिंह "	[illegible]
12	" देव सिंह "	देव [illegible]
13	" बलदेव सिंह चौहान	बलदेव
14	" सत्ये सिंह चौहान	सत्ये सिंह
15	" प्यार दास	प्यार दास
16	" दिनेश लाल	दिनेश
17	" केदार सिंह चौहान	केदार सिंह
18	" राजू लाल	[illegible]
19	" सुरवीर सिंह चौहान	सुरवीर
20	श्रीमति विमला देवी रावत	बिसनलाल
21	श्री विजय सिंह चौहान	विजय सिंह
22	" सते सिंह कण्डारी	सते सिंह
23	" राधा देवी w/o वीर सिंह	
24	सत्ये सिंह कण्डारी	सत्ये सिंह
	मदन लाल	मदन

ह0/–
ग्राम प्रधान

87

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.000 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – **मल्याकोट (भेलगढ़ी)**

तहसील- घनसाली जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत **खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनियाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग** की परियोजना के निर्माण **हेतु 0.7350 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.7350 हे0 वन भूमि** का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मल्याकोट (भेलगढ़ी)** द्वारा दिनांक 24/8/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **भेलगढ़ी (बणतोली)** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

रजनी

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत मल्याकोट, वि0 ख0 भिलंगना (टिहरी गढ़वाल))

दिनांक 24|8|18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – मल्याकोट (भेलगढ़ी)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री जगत सिंह	जगत सिंह
2-	" हर सिंह	हर सिंह
3-	श्रीमती मंजु देवी	मन्जु देवी
4-	श्रीमती लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
5-	" रेखा देवी	Rekha
6-	श्री बिचेन्द्र सिंह	बिचेन्द्र सिंह
7-	श्रीमती सुषमा देवी	सुषमा कुमारी
8-	श्री महिपाल सिंह	महीपाल सिंह
9-	" पुरुषोत्तम सिंह	[illegible]
10	" राहुल सिंह	[illegible]
11	" दलेव सिंह	[illegible]
12	" विरेन्द्र सिंह	[illegible]
13	" विनोद सिंह	
14	" यशवन्त सिंह	[illegible]
15	" रणवीर सिंह	[illegible]
16	" धीरेन्द्र सिंह	[illegible]
17	" सुमन सिंह	[illegible]
18	सुरेन्द्र सिंह	[illegible]
19	अवतार सिंह	[illegible]
20	" गब्बर सिंह	गब्बर सिंह
21	" केशर सिंह पुण्डीर	के० सिंह
	" विरेन्द्र सिंह पू० प्रधान	विरेन्द्र सिंह

ह०/—

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत मल्याकोट
हस्ताक्षर... रजनी
दिनांक...
भेलगढ़ी